न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 201/2023

1. गौरव जैन पुत्र नरपतमल जैन जाति जैन निवासी सी. 32, सुभाष कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर जिला जयपुर राज0

प्रार्थी

बनाम

1. नवीनाराज पुत्री महिपाल जाति नट, निवासी ग्राम बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
2. अजीज पुत्र मौहम्मद हनीफ जाति मुसलमान, निवासी किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
3. नन्दा पुत्र सुगना जाति जाट, निवासी ग्राम चुन्दड़ी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
4. भागचन्द पुत्र नोरत जाति गुर्जर, निवासी ग्राम तोलामाल तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
5. मोती पुत्र नोरत जाति गुर्जर, निवासी ग्राम तोलामाल तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज0
6. हीरा पुत्र नोरत जाति गुर्जर, निवासी ग्राम तोलामाल तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

दिनांकः 03/09/24

उपस्थितः श्री गणेश प्रजापत प्रार्थी अभिभाषक
श्री डी0सी0 सेठी अप्रार्थीगण

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा जरिये वकील श्री गणेश प्रजापत के माध्यम से अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

2.1 प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में दावा किया है कि प्रार्थी के स्वामित्व, आधिपत्य, कब्जे काश्त एवं एकल खातेदारी की कृषि आराजी खाता संख्या नया 65 ख0नं0 359/35 क्षेत्रफल 1.6018 हैक्टेयर, ख0नं0 36 क्षेत्रफल 1.7555 हैक्टेयर, ख0नं0 365/37 क्षेत्रफल 1.2378 हैक्टेयर कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 4.5951 हैक्टेयर भूमि राजस्व ग्राम बड़गांव पटवार हल्का बड़गांव भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पाटन तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर में अवस्थित है। उक्त कृषि भूमि सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम एकल खातेदारी में दर्ज है एवं प्रार्थी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 359/35, 36, 365/37 के पूर्व, पश्चिम,

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

उत्तर एवं दक्षिण (चारो दिशाओं) में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 की खातेदारी व राज. सरकार की भूमि स्थित है तथा प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में विधिक रूप से नक्शा ट्रेस में मौके पर काबिज काश्त अनुसार तरमीम हो रखी है तथा प्रार्थी ही मौके पर अपनी खातेदारी की उक्त कृषि भूमि पर काबिज काश्त होकर काश्त करता, करवाता चला आ रहा है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाने के लिए प्रार्थना पत्र तहसीलदार किशनगढ़ को दिया गया था जिस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि का सीमाज्ञान करने के आदेश हल्का पटवारी के नाम जारी किया गया तत्पश्चात् सीमाज्ञान किया गया एवं पटवार हल्का पटवारी के द्वारा मौका पर्चा ग्राम बडगांव दिनांक 20.06.2023 को तैयार किया गया था। प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि पर कृषि कार्य करता, करवाता चला आ रहा है तथा प्रार्थी के द्वारा सीमाज्ञान करवाने के पश्चात् भी प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारान अप्रार्थीगण के मध्य आये दिन सींव, मेड़ (सीमा) को लेकर विवाद होता रहता है जिससे प्रार्थी काफी परेशान है इस कारण प्रार्थी अपनी उपरोक्त वर्णित ख0नं0 359/35, 36, 365/37 की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी करवाया जाना अति आवश्यक है। अन्यथा प्रार्थी एवं अड़ौस पड़ौस के खातेदारो अप्रार्थीगण में विवाद बढ़ सकता है वाद बाहुल्यता को बढ़ावा मिल सकता है तथा बिना वजह विवाद उत्पन्न होगें इस सभी परेशानियों से बचने के लिए तथा पड़ौसी खातेदारो से विवाद नहीं हो इसलिए प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या 2 में वर्णित प्रार्थी की खातेदारी की भूमि पर पत्थर गढ़ी किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। उक्त खसरा नम्बरान की भूमि का राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में तरमीम होने के बावजूद प्रार्थी व अप्रार्थीगण पड़ौसी खातेदारान के मध्य नींव, सींव को लेकर आये दिन विवाद उत्पन्न होते रहते है इसलिए प्रार्थी की उक्त खसरा नम्बरान की भूमि की पत्थरगढ़ी किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी निर्बाध रूप से अपनी आराजी पर काबिज काश्त करता, करवाता चला आ रहा है तथा प्रार्थी की खातेदारी की आराजी पर प्रार्थी की ओर से जब भी हमेशा की तरह फसल हेतु बाह जोत करता, करवाता है एवं फसल बुवाई एवं कटाई करता करवाता है तब प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद होते रहते है एवं प्रार्थी के द्वारा अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवा लिया है जिसकी मौका रिपोर्ट दिनांक 20.06.2023 को बनायी गयी है उसके बाद भी विवाद होने के कारण प्रार्थना पत्र का कारण निरन्तर जारी है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 की भूमि प्रार्थी की भूमि की चारो सीमाओ से लगती हुई स्थित होने से पड़ौसी खातेदार, काश्तकार एवं राज्य सरकार होने से पक्षकार बनाया गया है

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

तथा अप्रार्थी संख्या 7 को भूमिधारी राज्य सरकार होने से पक्षकार बनाया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा अपनी कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या नया 65 के ख0नं0 359/35 क्षेत्रफल 1.6018 हैक्टेयर, ख0नं0 36 क्षेत्रफल 1.7555 हैक्टेयर, ख0नं0 365/37 क्षेत्रफल 1.2378 हैक्टेयर कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 4.5951 हैक्टेयर सम्पूर्ण कृषि भूमि प्रार्थी की एकल खातेदारी की कृषि भूमि के चारो तरफ मुताबिक राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस मौके पर काबिज काश्त के अनुसार नाप चौप करवा कर सीमाज्ञान करवा कर पत्थर गढ़ी करवाये जाने आदेश प्रार्थी के पक्ष में प्रदान करने का निवेदन किया।

3. अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र के नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4) के तहत् नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 3 के बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा अप्रार्थी 2 स्वयं द्वारा जवाब पेश किया गया तथा अप्रार्थी सं0 4, 5 व 6 की ओर से वकील श्री डी0सी0 सेठी द्वारा वकालतनामा व जवाब पेश किया गया व अप्रार्थी सं0 7 पैरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश किया।

3.1 अप्रार्थी सं0 2 द्वारा जवाब पेश कर अंकित किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि का प्रार्थी की हद मे पत्थरगढ़ी की जाती है तो उनको कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी सं0 2 अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज है।

3.2 अप्रार्थी संख्या 4, 5, 6 द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर अंकित किया कि अप्रार्थी संख्या 4, 5 व 6 ग्राम बड़गांव के स्थाई निवासी है और अपने खेत में ही निवास करते है तथा अप्रार्थीगण ने अपनी जमीन 6 वर्ष पूर्व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद की है तथा खरीद की तारीख से प्रार्थी की जमीन पर प्रार्थी का ही कब्जा काश्त है। अप्रार्थी संख्या 4 भागचन्द अप्रार्थी संख्या 5 मोती व अप्रार्थी संख्या 6 हीरा व उनके परिवार पूर्वज अपनी खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 360/35, 366/37 में पिछले लगभग 30 वर्ष से मकान व बाड़ा बनाकर निवास व कृषि कार्य कर रहे है और उक्त भूमि की रजिस्ट्री बागरिया जाति के लोगों से 20 वर्ष पूर्व हमारा उक्त भूमि में कब्जा निवास के बाद अप्रार्थीगण ने अपने नाम बैचान रजिस्ट्री पंजीयन कराई। खरीद की तारीख से पूर्व से ही अप्रार्थीगण व उसका परिवार कृषि भूमि में निवास व कृषि कार्य कर रहे है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की कृषि भूमि पर ना तो कभी कब्जा किया है और न करेगे। उक्त भूमि में यानि अप्रार्थी संख्या 4, 5 व 6 की भूमि में 30 वर्षो से तारबंदी व डोल बनी हुई है तथा वर्षो से प्रार्थी ने व उसके पूर्ववर्ती व्यक्तियों ने उक्त तारबन्दी व डोल पर आज तक कोई उज्र एतराज नहीं किया है तथा अप्रार्थीगण की उक्त भूमि

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
(अजमेर)

में स्थित निवास पर रामकरण, हीरा व भागचन्द के नाम लगभग 20 वर्षो से घर में बिजली कनेक्शन लगे हुए है। इसी जमीन में अप्रार्थीगण का स्वयं का एक 30 वर्षो से कुआ खुदा हुआ है व बाद में इस कुए पर बिजली कनेक्शन भी लिया हुआ है। पत्थरगढ़ी की कोई भी आवश्यकता प्रार्थी को नहीं है तथा प्रार्थी नवीनराज जयपुर का स्थाई निवासी है। अतः जवाबकर्तागण द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को मय हर्जे खर्चे के खारिज करने का निवेदन किया।

3.3 अप्रार्थी सं0 7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर अंकित किया कि ग्राम बड़गांव की वर्तमान जमाबन्दी अंतिम चौसाला आधार सम्वत् 2068–2071 जमाबन्दी सम्वत् 2077 (वर्ष 2020) से स्थाई के खाता सं0 65 ख0नं0 359/35, 36, 336/37 कुल किता 3 कुल रकबा 4.5951 हैक्टेयर पर प्रार्थी गौरव जैन पुत्र नरपतमल जैन जाति जैन सा. सी. 32 सुभाष कॉलोनी शास्त्री नगर जयपुर खातेदार दर्ज है।

4. हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील पक्षकारान् की बहस सुनी गई।

4.1 वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी अपनी खातेदारी की कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाने के लिए प्रार्थना पत्र तहसीलदार किशनगढ़ को दिया गया था जिस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि का सीमाज्ञान करने के आदेश हल्का पटवारी के नाम जारी किया गया तत्पश्चात् सीमाज्ञान किया गया था। प्रार्थी के द्वारा सीमाज्ञान करवाने के पश्चात् भी प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारान अप्रार्थीगण के मध्य आये दिन सींव, मेड़ (सीमा) को लेकर विवाद होता रहता है जिससे प्रार्थी काफी परेशान है इस कारण प्रार्थी अपनी उपरोक्त वर्णित ख0नं0 359/35, 36, 365/37 की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी करवाया जाना अति आवश्यक है। अन्यथा प्रार्थी एवं अड़ौस पड़ौस के खातेदारो अप्रार्थीगण में विवाद बढ़ सकता है वाद बाहुल्यता को बढ़ावा मिल सकता है। अतः प्रार्थी वकील6 द्वारा अपनी कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि के चारो तरफ मुताबिक राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस मौके पर काबिज काश्त के अनुसार नाप चौप करवा कर सीमाज्ञान करवा कर पत्थर गढ़ी करवाये जाने आदेश प्रार्थी के पक्ष में प्रदान करने का निवेदन किया।

4.2 वकील अप्रार्थी संख्या 4, 5, 6 द्वारा अपनी बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 4 भागचन्द अप्रार्थी संख्या 5 मोती व अप्रार्थी संख्या 6 हीरा व उनके परिवार पूर्वज अपनी खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 360/35, 366/37 में पिछले लगभग 30 वर्ष से मकान व बाड़ा बनाकर

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

निवास व कृषि कार्य कर रहे है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की कृषि भूमि पर ना तो कभी कब्जा किया है और न करेगे। उक्त भूमि में यानि अप्रार्थी संख्या 4, 5 व 6 की भूमि में 30 वर्षो से तारबंदी व डोल बनी हुई है तथा वर्षो से प्रार्थी ने व उसके पूर्ववर्ती व्यक्तियों ने उक्त तारबन्दी व डोल पर आज तक कोई उज्र एतराज नहीं किया है। प्रार्थी नवीनराज जयपुर का स्थाई निवासी है तथा पत्थरगढ़ी की कोई भी आवश्यकता प्रार्थी को नहीं है। अतः वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को मय हर्जे खर्चे के खारिज करने का निवेदन किया।

5. हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया। ग्राम बड़गांव पटवार हल्का बड़गांव भू–अभि० नि० क्षेत्र पाटन तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में स्थित ख०नं० 359/35 क्षेत्रफल 1.6018 हैक्टेयर, ख०नं० 36 क्षेत्रफल 1.7555 हैक्टेयर, ख०नं० 365/37 क्षेत्रफल 1.2378 हैक्टेयर कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 4.5951 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है। सलंग्न राजस्व मानचित्र नक्शा में ख०नं० ख०नं० 359/35, ख०नं० 36 व ख०नं० 365/37 का स्पष्ट अंकन है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उपरोक्त विवेचन एवं उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार किशनगढ़ को 2000/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर ग्राम बड़गांव पटवार हल्का बड़गांव भू–अभि० नि० क्षेत्र पाटन तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में स्थित ख०नं० 359/35 क्षेत्रफल 1.6018 हैक्टेयर, ख०नं० 36 क्षेत्रफल 1.7555 हैक्टेयर, ख०नं० 365/37 क्षेत्रफल 1.2378 हैक्टेयर कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 4.5951 हैक्टेयर भूमि का राजस्व मानचित्र/जमाबन्दी में वर्णित क्षेत्रफल अनुसार सम्बन्धित पक्षकारान् की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी द्वारा कमिश्नर शुल्क जमा कराने पर पालना हेतु तहरीर जारी होवे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 03/09/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्चना चौधरी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)